

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक: लेखा-12(प्रोग्राम)/आं.जां./2017/2634


दिनांक: 17/8/17

—:आन्तरिक अंकेक्षण कार्यक्रम आदेश:-

श्री सुरेश कुमार शर्मा, सहायक लेखा-0-I के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्रमांक 77 दिनांक 25.07.2017 में चाहे अनुसार कार्यक्रम में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-


क्र. सं.	अंकेक्षण दल प्रभारी/ सदस्य व जोन का नाम	कार्यालय जिसका अंकेक्षण किया जाना है	आदेशित कार्यक्रम	संशोधित कार्यक्रम
1.	श्री सुरेश कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी-I आं.जां. दल जोन-जयपुर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बस्सी, 04/15 से 03/17	14.06.17 से 17.07.17	14.06.17 से 24.07.17 तक

उक्त संशोधन पश्चात कार्यक्रम हेतु समय-समय पर जारी आदेशों में दिये गये निर्देशानुसार अंकेक्षण कार्य सम्पादित कर जांच रिपोर्ट निर्धारित समय पर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवायेंगे:-

  
वित्तीय सलाहकार,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,  
राजस्थान, जयपुर  
दिनांक: 17/8/17

क्रमांक: लेखा-12(प्रोग्राम)/आं.जां.का./2017/2634  
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निदेशक (जन स्वा0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
2. निदेशक (वित्त) एनएचएम राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन-जयपुर।
4. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बस्सी, जयपुर।
5. श्री सुरेश कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी-I आं.जां. दल जोन-जयपुर।
6. प्रभारी सर्वर रूम को दी जाकर लेख है कि इस आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।

  
लेखाधिकारी,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,  
राजस्थान, जयपुर